सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :— अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 152/2019

1. जम्बो फिनवेस्ट(इण्डिया) लिमिटेड, रजिस्टर्ड पता 102 कंचन अपार्टमेंट अपोजिट एलबीएस कॉलेज तिलक नगर जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी अमित शर्मा

प्रार्थी

बनाम

1. सत्यप्रकाश पुत्र श्री रामचरण सैनी निवासी 86 माली मोहल्ला रोत, तहसील महुआ जिला दौसा।
2. फूलवती देवी पत्नी श्री रामचरण सैनी निवासी 86 माली मोहल्ला रोत तहसील महुआ जिला दौसा।
3. कपिल सिंह पुत्र श्री वीर बहादुर सिंह निवासी ग्राम रोत हाडिया तहसील महुआ जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम— 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थिति : श्री प्रमोद कुमार,, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश दिनांक: 31.7.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट(इण्डिया) लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणीगण श्री सत्यप्रकाश पुत्र श्री रामचरण सैनी निवासी 86 माली मोहल्ला रोत, तहसील महुआ जिला दौसा व अन्य को 7,00,000/—(रूपये सात लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैक/कम्पनी का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट(इण्डिया) लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट(इण्डिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट(इण्डिया) लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी गई सम्पत्ति अप्रार्थीगण की सम्पत्ति आबादी पट्टा सं0 75, मिसल सं0—29, दिनांक 20.2.2004, जिसके उत्तर में पदम की पाटौल, दक्षिण में पदम की पाटौल, पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम कमल की पाटौल स्थित है क्षेत्रफल 166.6 वर्गगज ग्राम रोत ग्राम पंचायत हाडिया पंचायत समिति महुआ जिला दौसा जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट(इण्डिया) लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर,दौसा